

प्रेषक

वरिष्ठ कोषाधिकारी

बुलन्दशहर

सेवा में

समस्त आहरण-वितरण अधिकारी

बुलन्दशहर

विषय-

ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली, ई-पेंशन सिस्टम के संचालन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक-1051/कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015-16, दिनांक 09/12/2015 एवं पत्रांक 1341/कोष0कम्प्यू0/डि0सि0/2015-16, दिनांक 14/03/2016 एवं जिलाधिकारी कार्यालय बुलन्दशहर के पत्रांक-1417/ई-पेंशन/डि0सि0/2015-16, दिनांक 21/03/2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में आज दिनांक 08/04/2016 को आयोजित जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में आप सभी आहरण-वितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि ई-पेंशन के सफल क्रियान्वयन के लिये आप एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त कर उन्हें ई-पेंशन की वेब साईट (<http://epension.up.nic.in/UPOPS>) पर कोषागार द्वारा प्रदत्त लॉग-इन एवं पासवर्ड द्वारा एनरौल कर कोषागार को सूचित करते हुए अपने डिजिटल हस्ताक्षर को अविलम्ब अप्रूव करा लें एवं अनिवार्य रूप से उपरोक्त प्रणाली द्वारा ई-पेंशन के भुगतान की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

पुनः अवगत कराना है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-22/2015/सा-3-1067/दस-2015-301(18)/2013, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 के अनुसार दिनांक 29 फरवरी 2016 के उपरान्त अर्थात् दिनांक 01 मार्च 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा ही निस्तारित किये जायेंगे । सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में विलम्ब की दशा में सम्बंधित आहरण-वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे ।

इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित है ।

भवदीय

वरिष्ठ कोषाधिकारी

बुलन्दशहर

पत्रांक: 95 II /ई-पेंशन/डि0सि0/2016-17, तददिनांक 8/4/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर ।
- 2-निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन लखनऊ ।
- 3-निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, छठवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- 4-अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, एम0डी0ए0 भवन, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 5-जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 बुलन्दशहर इस पत्र को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को जनपद बुलन्दशहर की वेब साईट पर अपलोड करायें जानें का कष्ट करें ।

वरिष्ठ कोषाधिकारी

बुलन्दशहर